

राजस्थान संवाद
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय परिसर
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक/एफ /राज.संवाद/2015-16/1492-1522

दिनांक 03.11.2015

कार्यालय आदेश


विभिन्न राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत विज्ञापनों के लिये राजस्थान संवाद के द्वारा निम्न विज्ञापन एजेन्सियों को वर्ष 2015-16 के लिये दिनांक 01.11.2015 से 31.10.2016 तक सूचीबद्ध (Empalment) किया जाता है। इन विज्ञापन एजेन्सियों को विभिन्न राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की स्वायत्तशासी संस्थाओं से 15 प्रतिशत कमीशन राशि प्राप्त होने पर राजस्थान संवाद द्वारा 6 प्रतिशत कमीशन भुगतान किया जायेगा :-

1. मैसर्स एडमेन एडवरटाइजिंग, जयपुर
2. मैसर्स अलकनंदा एडवरटाइजिंग, जयपुर
3. मैसर्स अमूल एडवरटाइजिंग, जयपुर
4. मैसर्स अपेक्स एडवरटाइजिंग, जयपुर
5. मैसर्स अपील एडवरटाइजिंग, नई दिल्ली
6. मैसर्स अरिहंत एडवरटाइजिंग, जयपुर
7. मैसर्स अतुल पब्लिसिटी प्रा.लि., जयपुर
8. मैसर्स बुबना एडवरटाइजिंग, नई दिल्ली
9. मैसर्स चन्द्राद्रायो सर्विसेज, जयपुर
10. मैसर्स दीपक एडवरटाइजिंग, जयपुर
11. मैसर्स देवराह कम्यूनिकेशन, जयपुर
12. मैसर्स डॉट कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली
13. मैसर्स इंटर पब्लिसिटी प्रा.लि., जयपुर
14. मैसर्स जयपुर पब्लिसिटी सेन्टर, जयपुर
15. मैसर्स एम.जी. एडवरटाइजिंग, जयपुर
16. मैसर्स ऑनवर्ड एडवरटाइजिंग, जयपुर
17. मैसर्स पिंकसिटी एडवरटाइजिंग, जयपुर
18. मैसर्स प्रयास क्रियेशन्स, जयपुर
19. मैसर्स रामा एन्टरप्राइजेज, जयपुर
20. मैसर्स रिषभ एडवरटाइजिंग, जयपुर
21. मैसर्स शकुन एडवरटाइजिंग, जयपुर
22. मैसर्स शिवरत्न एडवरटाइजिंग, जयपुर



23. मैसर्स शुभ एडवरटाइजिंग, जयपुर
24. मैसर्स सिद्धी एडवरटाइजिंग, जयपुर
25. मैसर्स स्पीडवेज एडवरटाइजिंग, चंडीगढ़
26. मैसर्स सृष्टि संचार, जयपुर
27. मैसर्स स्वचायर कम्यूनिकेशन प्रा.लि., जयपुर

उक्त एजेन्सियां विभिन्न राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की स्वायत्तशासी संस्थाओं से विज्ञापन सीधे प्राप्त कर सकती है एवं उन्हें डिजाईन/प्रूफ रीडिंग कर राजस्थान संवाद के माध्यम से रीलिज ऑर्डर जारी करवाकर विज्ञापन छपने की सुनिश्चिता करेंगी तथा राजस्थान संवाद के 15 प्रतिशत राशि के बिल कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित कार्यालयों को पहुंचाकर भुगतान जारी कराकर राजस्थान संवाद के कार्यालय में जमा करायेंगी। राशि जमा होने के पश्चात ही एजेन्सियों को कमीशन का भुगतान राजस्थान संवाद के द्वारा किया जायेगा।


कार्यकारी निदेशक (वित्त)
राजस्थान संवाद

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
2. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
3. समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की स्वायत्तशासी संस्थाएं
4. संबंधित समस्त विज्ञापन एजेन्सियां


कार्यकारी निदेशक (वित्त)